(168)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी – 4837/2018 शाजापुर / भू.रा.

मोहम्मद इलियास पिता मोहम्मद इशाक
निवासी–पीठा रोड़ मक्सी जिला शाजापुर
— आवेदक

विरूद्ध

1. अफजल पिता रोशन खान, उम्र 40 साल
2. नन्दूसिंह पिता उमेदसिंह लोधी,
दोनों निवासी रेलवे स्टेशन, मक्सी जिला शाजापुर म.प्र. — अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा मक्सी जिला शाजापुर के प्र.क्र. 3/अ–13/17–18 में पारित आदेश दिनांक 14–05–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, नायब तहसीलदार महोदय मक्सी द्वारा जो आदेश पारित किया है उससे पढ़ने से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है तथा रास्ते के संबंध में अनावेदक द्वारा क्या कहा गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4837/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखलाक कुरैशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	